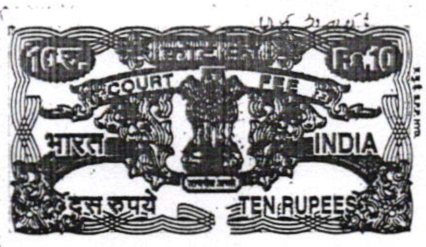

80
1-4-16

समक्ष – न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय जी
राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) – भोपाल निग – 1043-PBR/16

रामाजी चढ़ोकार वल्द गंगाराम
शंकर नगर, बदनूरढाना बैतूल

...... **अपीलार्थी**

बनाम

आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद।

.... **गैर अपीलार्थी**

<u>अपील</u>

श्रीमान,

1– यह अपील आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग के अभ्यावेदन में अपील क्रमांक 211 वर्ष 2015 के बैतूल नजूल में पारित आदेश दिनांक 04.07.2015 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा समयावधि में पेश है।

इसको मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 पुनरीक्षण (निगरानी) के लिये अपेक्षित प्रस्तुत किया जाता है।

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

मौजा नजूल शीट नं. 15 पलाट नं. 7 रकबा 1,55,238 वर्गफिट भूमि पर कैफियत कॉलम में वर्ष 1952–53 के खसरे अनुसार कैफियत कॉलम नं. 09 में घनश्याम पटेल का कब्जा दर्ज है, जो पूर्व से दान और वसीयत के तहत घनश्याम पटेल की जानकारी में अपीलार्थी के माध्यम से ही कब्जा दर्ज है । साथ ही दानकर्ता के पुत्र घनश्याम पटेल द्वारा रामाजी के पक्ष में वसीयतनामा भी तहरीर कर दी थी, तबसे अपीलार्थी रामाजी ने हनुमानजी, शिवजी, नागदेव, रामजी आदि देवताओं की स्थापना कर कब्जा प्राप्त किया है । अपीलार्थी रामाजी कब्जाधारी का आधिपत्य हक विगत 64 वर्षों से चला आ रहा है, जिस पर अपीलार्थी उल्लेखित दस्तावेज के अधीन नाम इन्द्राज किये जाने का आग्रही है ।

R 1043-PBR/16 बैतूल
रामाजी चढोकार / आवेदक

25/10/16	आवेदक अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगवायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित। आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।	
	अध्यक्ष	